## 1. मॉड्यूल और इसकी संरचना का विवरण

| मॉड्यूल विवरण | |
|---|---|
| विषय नाम | अर्थशास्त्र |
| पाठ्यक्रम का नाम | भारतीय आर्थिक विकास 01 (कक्षा XI, सेमेस्टर - 1) |
| मॉड्यूल का नाम / शीर्षक | गरीबी – भाग 1 |
| मॉड्यूल Id | keec_10401 |
| पूर्वअपेक्षित ज्ञान | कुछ शब्दों जैसे गरीबी, पोषण, आय, रोजगार आदि की जानकारी |
| उद्देश्य | इस अध्याय को पढ़ने के बाद, छात्र निम्न को समझ सकेंगे :<br>• गरीबी की अवधारणा<br>• भारत में गरीबी का आकलन<br>• गरीबी के कारण<br>• गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम और नीतियां |
| मुख्य शब्द | गरीबी, गरीबी रेखा, पोषण स्तर, यूआरपी, एमआरपी |

## 2. Development Team

| Role | Name | Affiliation |
|---|---|---|
| National MOOC Coordinator (NMC) | Prof. Amarendra P. Behera | CIET, NCERT, New Delhi |
| Program Coordinator | Dr. Mohdı Mamur Ali | CIET, NCERT, New Delhi |
| Course Coordinator (CC) / PI | Prof. Neeraja Rashmi | DESS, NCERT, New Delhi |
| Subject Matter Expert (SME) | Mr. Naveen Sadhu | Guru Nanak Public School, Rajouri Garden, New Delhi |
| Review Team | Dr. Meera Malhan<br>Dr. Himanshu Singh | DCAC, University of Delhi<br>Satyawati College (Eveı), University of Delhi |
| Translator | Dr. Hariyash Rai | Retired DGM from Bank of Baroda |

**विषय तालिका:**

1. भूमिका
2. भारत में गरीबी का मापन
3. गरीबी के कारण
4. गरीबी उन्मूलन के लिए नीतियां व कार्यक्रम
5. सारांश

## 1. भूमिका

गरीबी न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक चुनौती है। यह विविध अभावों और सशक्तिकरण की कमी का परिणाम है। गरीबी को एक सामाजिक तथ्य के रुप में देखा जा सकता है जिसके अंतर्गत समाज का एक वर्ग रहन- सहन के न्यूनतम स्तर से वंचित रह जाता है। दूसरे शब्दों में, वह व्यक्ति जो रहन-सहन के न्यूनतम स्तर को पाने में अक्षम है, उसे गरीब कहा जा सकता है। यह न्यूनतम स्तर समाज- दर समाज, राष्ट- दर राष्ट्र भिन्न होता है और समय के अनुसार भी बदल जाता है। सामान्यत: रहन -सहन के न्यूनतम स्तर में भोजन, कपड़ा, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य व अन्य सुविधाएं शामिल होती हैं।

रहन-सहन का न्यूनतम स्तर उपलब्ध न करा पाने के कारण समाज का वैयक्तिक, सामाजिक और आर्थिक नुकसान होता है। स्वास्थ्य और कुशलता का नुकसान होता है जिसके परिणामस्वरूप आय कम होती है। यह भी कहा गया है कि गरीबी स्वयं को द्विगुणित करती है और एक दुष्चक्र का रुप ले लेती है।

## 2. भारत में गरीबी का मापन

भारत में नीति आयोग (पूर्ववर्ती योजना आयोग) गरीबी का आकलन करने के लिए केन्द्रीय एजेंसी है। यह ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में राष्ट्रीय और राज्यों के स्तर पर गरीबी की व्यापकता का आकलन करती है। गरीबी की व्यापकता का आकलन गरीबी दर के माध्यम से किया जाता है, जिसमें कुल आबादी में ग़रीबों के अनुपात को प्रतिशतता में दर्शाते हैं। इसे हैड काउंट रेशो (एचसीआर ) भी कहते हैं। गरीबी अनुपात का आकलन गरीबी रेखा के माध्यम से एक माह में

प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के अनुसार किया जाता है। व्यय के आंकड़े एनएसएसओ के सर्वेक्षणों से प्राप्त किये जाते हैं।

पूर्ववर्ती योजना आयोग ने गरीबी के आकलन की कार्य पद्धति की समीक्षा करने के लिए समय-समय पर कई कार्यदल / विशेषज्ञ समूहों का गठन किया था। इसने 1962 में आबादी के लिए रहन-सहन के वांछनीय न्यूनतम स्तर का आकलन करने के लिए एक कार्यदल का गठन किया था। इस कार्यदल ने यह सिफारिश की थी कि 1960- 61 की क़ीमतों के अनुसार पाँच सदस्यों के घर के लिए राष्ट्रीय न्यूनतम उपभोग व्यय (एनएमसीई ) प्रति माह 100 रुपये से कम और प्रति व्यक्ति प्रति माह 20 रुपये से कम नहीं होना चाहिए। शहरी क्षेत्रों में अधिक कीमतें होने के कारण यह राशि 125 रुपये प्रति माह या 25 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह थी। यह ध्यान दिया जाए कि गरीबी रेखा से शिक्षा और स्वास्थ्य के व्यय को अलग कर दिया गया था। क्योंकि इन्हे उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने आश्वासन किया था। 1977 में, योजना आयोग ने डॉ लाकड़वाला (लाकड़ावाला समिति ) की अध्यक्षता में एक कार्यदल का गठन किया जिसने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औसत कैलोरी की आवश्यकता के आकलन द्वारा गरीबी का मात्रात्मक माप उपलब्ध कराया। आकलित कैलोरी मानक ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रति दिन 2400 किलो कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 किलो कैलोरी प्रति दिन था। व्यय के संदर्भ में, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी के उपभोग के लिए, प्रति व्यक्ति प्रति माह 49।09 रुपये और शहरी क्षेत्रों में प्रति दिन 2100 कैलोरी के उपभोग के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह 56।64 रुपये निर्धारित किए गये। इस मासिक प्रति व्यक्ति व्यय (एमपीसीई) को गरीबी रेखा कहा गया।

**तालिका 1.1**

**गरीबी अनुपात और ग़रीबों की संख्या: विशेषज्ञ समूह (लाकड़ावाला) प्रणाली**

| वर्ष | गरीबी अनुपात (%) | | | ग़रीबों की संख्या ( दस लाख में) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ग्रामीण | शहरी | कुल | ग्रामीण | शहरी | कुल |
| 1973-74 | 56।4 | 49।0 | 54।9 | 261।3 | 60।0 | 321।3 |
| 1977-78 | 53।1 | 45।2 | 51।3 | 264।3 | 64।6 | 328।9 |
| 1983 | 45।7 | 40।8 | 44।5 | 252।0 | 70।9 | 322।9 |
| 1987-88 | 39।1 | 38।2 | 38।9 | 231।9 | 75।2 | 307।1 |
| 1993-94 | 37।3 | 32।4 | 36।0 | 244।0 | 76।3 | 320।3 |
| 2004-05(यूआरपी) | 28।3 | 25।7 | 27।5 | 220।9 | 80।8 | 301।7 |

तालिका 1.1 1973-74 से लेकर 2004-05 तक ग्रामीण व शहरी, दोनों क्षेत्रों में गरीबी अनुपात प्रतिशतता में और ग़रीबों की कुल संख्या दर्शाती है। कुल संख्या के साथ- साथ प्रतिशतता, दोनों में गिरावट है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यूआरपी या यूनिफार्म रेफरेंस/ रिकॉल अवधि जिसमें 30 दिनों की रिकॉल अवधि, तक सभी मदों के ग्राहक व्यय आंकड़े एकत्रित किए गए हैं। विशेषज्ञों द्वारा दशाई गई कुछ कमियों को ध्यान में रखते हुए, 2005 में डॉ सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता मे समीक्षा करने और नई गरीबी रेखा की सिफारिश करने के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया। तथापि, इस विशेषज्ञ समूह ने नई गरीबी रेखा का निर्धारण नहीं किया। इसने लाकड़ावाला पद्धति को अपनाया और यूआरपी (यूनिफार्म रेफरेंस /रिकॉल अवधि) को एमआरपी ( मिक्स्ड रेफरेंस / विकास अवधि ) में बदल दिया। यूआरपी उपभोग की सभी वस्तुओं, खाद्य पदार्थों और गैर खाद्य वस्तुओं के लिए 30 दिन रेफरेंस /रिकॉल अवधि का उपयोग करता है। लेकिन तेंदुलकर समिति ने 5 गैर खाद्य पदार्थों यथा कपड़े, जूते, टिकाऊ वस्तुएं ,शैक्षणिक व संस्थागत/ चिकित्सा व्ययों के लिए संदर्भ अवधि को पिछले एक वर्ष में परिवर्तित कर दिया, जिसे मिक्स्ड रेफरेंस/ रिकॉल अवधि ( एमआरपी) ।

**तालिका 1.2**

**राष्ट्रीय गरीबी रेखा (प्रति माह प्रति व्यक्ति, रुपयों में)**

| वर्ष | ग्रामीण | शहरी |
|---|---|---|
| 2004-05 | 446 / 7 | 578 / 8 |
| 2009-10 | 672 / 8 | 859 / 6 |
| 2011-12 | 816 / 0 | 1000 / 0 |

जैसा कि तालिका 1.2 में दर्शाया गया है कि तेंदुलकर समिति ने 2004-2005 के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 446।7 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह और शहरी क्षेत्रों के लिए 578।8 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह अखिल भारतीय गरीबी रेखा का अनुमान किया है। इस आधार पर, ग्रामीण जनसंख्या का 41।8 प्रतिशत और शहरी जनसंख्या का 25।7 प्रतिशत 2004-05 में गरीबी रेखा के नीचे अनुमानित था। सम्पूर्ण देश के लिए 37।2 प्रतिशत लोग 2004-05 में गरीबी रेखा के नीचे थे। 2013 में, इसी पद्धति का उपयोग करते हुए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 27।20 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति दिन और शहरी क्षेत्रों में 33।33 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति दिन के अनुसार गरीबी रेखा में

संशोधन किया गया। यह ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रति माह 816 रुपये और शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रति माह 1000 रुपये होते हैं। इस आधार पर, 2011– 2012 में 21।9 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे थी। (शहरी क्षेत्रों में 21।7 प्रतिशत)। सी रंगराजन की अध्यक्षता में नये विशेषज्ञ समूह (2012 में गठित) ने 2014 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और गरीबी रेखा का एक नया आकलन प्रस्तुत किया। इसने ग्रामीण क्षेत्रों में 972 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 1407 रुपये ' प्रति व्यक्ति मासिक व्यय' को गरीबी रेखा का आधार निर्धारित किया। इसने गरीबी रेखा का निर्धारण करने के लिए 'पाँच व्यक्तियों के परिवार के मासिक व्यय 'का प्रयोग किया, जो ग्रामीण क्षेत्रों में 4860 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 7035 रुपये था। विशेषज्ञ समूह का विचार था कि व्यक्तियों के व्यय की अपेक्षा परिवार का व्यय अधिक उपयुक्त था। रंगराजन समिति ने आई सीएमआर के मानदंडों के आधार पर कैलोरी, प्रोटीन और वसा की औसत आवश्यकता को भी ध्यान में रखा, जिन्हें नीचे दिया गया है:

- कैलोरी की आवश्यकता: शहरी क्षेत्रों में 2090 किलो कैलोरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 2155 किलो कैलोरी
- प्रोटीन: शहरी क्षेत्रों में 50 ग्राम और ग्रामीण क्षेत्रों में 48 ग्राम
- वसा: शहरी क्षेत्रों में 28 ग्राम और ग्रामीण क्षेत्रों में 26 ग्राम

गरीबी आकलन का अद्यतन अध्ययन 2011 में किए गए सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) पर आधारित है। 2015 से इन आँकड़ों का उपयोग गरीब परिवारों या घरों के आकलन के लिए किया गया है। यह प्रणाली ग़रीबों और गैर ग़रीबों में अंतर करने के लिए संपत्ति, आय, साक्षरता, आधुनिक सुविधाओं जैसे मोबाइल फोन, वाहन, रेफ्रिजरेटर आदि से संबंधित सात संकेतकों का उपयोग करती है। इस प्रणाली के आधार पर, 31।26 प्रतिशत आबादी को गरीब माना गया है।

**3. गरीबी के कारण**

- **संस्थागत और सामाजिक कारण:** गरीबी के कारण संस्थागत और सामाजिक कारकों में निहित होते हैं जो गरीब का जीवन निर्धारित करते हैं। गरीब गुणवत्तापरक शिक्षा से वंचित रह जाते हैं और कौशल प्राप्त नहीं कर पाते जो अधिक आय दिलाते हैं। ग़रीबों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं।

- **ग़रीबों में तेजी से आबादी की वृद्धि:** आबादी की वृद्धि दर 1941-51 के 1 प्रतिशत से बढ़कर 1991 में 2।1 प्रतिशत हो गई। ग़रीबों में आबादी वृद्धि उनकी निरक्षरता, परम्परागत सोच,परिवार नियोजन आचरण  की कमी, लड़के की चाह आदि के कारण है। बड़े आकार के परिवारों और कम आय के कारण, वे परिवार के सदस्यों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाते।
- **भूमि सुधारों का खराब कार्यान्वयन:** आजादी के बाद, सरकार ने भूमि सुधारों को लागू करने और उन लोगों को पुन: जमीन देने की कोशिश की जिनके पास कोई जमीन नहीं थी। इस अभियान को सीमित मात्रा में ही सफलता मिली। बहुत बड़ी संख्या में कृषि श्रमिक छोटी जीतों पर खेती नहीं कर सके क्योंकि न तो उनके पास पैसा था और न ही जमीन को उत्पादक बना सकने की कुशलता थी और जमीन की जोत लाभप्रद होने के लिए बहुत छोटी थी।
- **रोजगार के वैकल्पिक स्त्रोतों की कमी:** ग्रामीण ग़रीबों का बहुत बड़ा वर्ग छोटे किसानों का है। उनकी जमीन कम उपजाऊ है और वे वर्षा पर निर्भर हैं। उनका जीवित रहना निर्वाह फ़सलों और कभी- कभी पशुओं पर निर्भर रहता है। तेजी से बढ़ती हुई आबादी और रोजगार के वैकल्पिक स्त्रोत न होने के कारण , खेती के लिए उपलब्ध प्रति व्यक्ति जमीन लगातार कम हो रही है जिससे कि जमीन की जोतें छोटी हो रही है।
- **ऋण ग्रस्तता:** प्राय: खेती व अन्य व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए किसानों द्वारा लिए गये ऋणों का भुगतान न कर पाने के कारण, किसानों द्वारा आत्महत्याएँ किए जाने की रिपोर्टे आती हैं। कई बार सूखे अथवा अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण, उनकी फसल अक्सर खराब हो जाती है और अत्यधिक तनाव के कारण  वे ऐसा कठोर कदम उठाते है।
- **आधारभूत संरचना का अभाव:** आर्थिक व सामाजिक आधारभूत संरचनाओं जैसे ऊर्जा, परिवहन बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि प्रगति व विकास की आधारभूमि के रुप में काम करते हैं। इन आधारभूत संरचनाओं का अभाव अर्थव्यवस्था की वृद्धि और गरीबी दूर करने के प्रयासों को धीमा करते हैं।
- **सामाजिक घटक:** कई सामाजिक घटक जैसे जाति व्यवस्था, संयुक्त परिवार व्यवस्था, धार्मिक मान्यताएं और विश्वास, उत्तराधिकार के कानून आदि प्राय: आर्थिक विकास की प्रक्रिया में बाधा पहुँचाते हैं। उदाहरणार्थ अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के सदस्य शहरी और

ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले रोजगार के अवसरों में भाग नहीं ले सकते क्योंकि उनके पास आवश्यक ज्ञान और कौशल नहीं होता।

**4. गरीबी उन्मूलन की नीतियां और कार्यक्रम**

सरकार की गरीबी में कमी लाने की पद्धति तीन रुपों में है। पहली विकासोन्मुख पद्धति है। यह इस अपेक्षा पर आधारित है कि आर्थिक विकास के परिणाम- सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय में तेजी से वृद्धि - समाज के सभी वर्गों तक पहुचंगे और यथा समय समाज के गरीब वर्ग के लोगों तक भी पहुचंगे। 1950 के दशक और 1960 के दशक के प्रारम्भ में की योजनाओं में इस पर मुख्य रुप से ध्यान केन्द्रित किया गया। तथापि, आबादी की वृद्धि के परिणाम स्वरूप प्रति व्यक्ति आय में बहुत कम वृद्धि हुई। गरीब और अमीर के बीच अंतराल वास्तव में बढ़ गया है। हरित क्रांति ने क्षेत्रीय स्तर पर और बड़े और छोटे किसानों के बीच असामनाताओं को और बढ़ा दिया है। जमीन के पुन: वितरण में अनिच्छा और असमर्थता थी। अर्थशास्त्री कहते हैं कि आर्थिक वृद्धि के लाभ ग़रीबों तक नहीं पहुंचे हैं।

विशेष रुप से ग़रीबों के लिए विकल्प की तलाश में, नीति निर्माताओं ने यह अनुभव किया कि ग़रीबों की आय और रोजगार में वृद्धि अतिरिक्त सम्पदा का सृजन करके और कार्य का निर्माण करके की जा सकती है। इसे विशिष्ट गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत प्राप्त किया जा सकता है। यह दूसरी पद्धति तीसरी पंचवर्षीय योजना ( 1961-66 ) से प्रारम्भ की गई और तब से इसे निरंतर बड़ा किया जा रहा है। 'कार्य के लिए भोजन' 1970 के दशक में प्रारम्भ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में से एक था।

स्वरोजगार कार्यक्रमों और मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों के विस्तार को गरीबी को दूर करने के प्रमुख उपायों के रुप में माना गया है । ऐसे स्वरोजगार कार्यक्रमों के उदाहरण हैं, *ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम* (आरईजीपी) *प्रधानमंत्री रोजगार योजना* ( पीएमआरवाय) और *स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना* (एसजेएसआरवाय)। पहले कार्यक्रम का लक्ष्य बैंक ऋणों के रुप में वित्तीय सहायता के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कम आय वाले परिवारों के शिक्षित बेरोजगार पीएमआरवाय योजना के अंतर्गत किसी भी प्रकार का उद्यम, जो रोजगार का सृजन करता है, स्थापित करने के लिए वित्तीय

सहायता ले सकते हैं। एसजेएसआरवाय का उद्देश्य मुख्यत: शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करना है।

1990 के दशक से इस पद्धति को बदल दिया गया है। सरकार स्वयं सहायता समूहों, जो स्वरोजगार गतिविधियों के लिए केन्द्रीय संस्थाएँ हैं, को आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। *स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाय)* ऐसा ही एक कार्यक्रम है। इसे अब राष्ट्रीय *ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)* के रुप में पुनर्संरचित किया गया है। एक ऐसा ही कार्यक्रम *राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन* भी शहर के ग़रीबों के लिए प्रारंभ किया गया है।

अगस्त 2005 में, रोजगार प्रदान करने के लिए अधिकार आधारित पद्धति प्रारम्भ की गई। संसद ने प्रत्येक ग्रामीण परिवार को, जिसके व्यस्क अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए स्वेच्छा से आएं, एक वर्ष में न्यूनतम 100 दिन के लिए गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करने के लिए नया अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कहा जाता है। इस अधिनियम के अंतर्गत, ग़रीबों में वे सभी, जो न्यूनतम मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार हैं, उन क्षेत्रों में रिपोर्ट कर सकते हैं जहां यह कार्यक्रम लागू किया गया है। 2013 – 14 में, इस कानून के तहत लगभग 5 करोड़ परिवारों को रोजगार के अवसर मिले।

गरीबी को दूर करने की तीसरी पद्धति लोगों को न्यूनतम बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराना है। भारत विश्व में यह समझने में सबसे आगे रहा कि सामाजिक उपभोग आवश्यकताओं पर सार्वजनिक व्यय, जैसे सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति और स्वच्छता, के माध्यम से गरीबी को मिटाया जा सकता है। पांचवी पंचवर्षीय योजना में कहा गया है कि , "विस्तृत रोजगार अवसरों के बावजूद, गरीब अपने लिए सभी आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं खरीदने में सक्षम नहीं होंगे। उन्हें सामाजिक उपभोग और आवश्यक खाद्यान्न, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, पीने का पानी, आवास, संचार व बिजली के रुप में निवेश करके कम से कम कुछ निश्चित न्यूनतम स्तरों तक लाने के लिए पूरक व्यवस्था करनी होगी।" ग़रीबों में भोजन व पोषण के स्तर में सुधार करने के लिए तीन प्रमुख कार्यक्रम हैं सार्वजनिक वितरण पद्धति, सघन बाल विकास योजना, और मध्याह्न भोजन योजना। *प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधान मंत्री*

*ग्रामोदय योजना, वाल्मीकि आम्बेडकर आवास योजना,* आदि भी आधारभूत संरचना व आवास सुविधाओं के विकास के लिए किए गए प्रयास हैं।

सरकार के पास कुछ विशिष्ट समूहों की सहायता के लिए कई अन्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भी हैं। 2014 से प्रधान मंत्री जन धन योजना लागू की गई है जिसके अंतर्गत लोगों को बैंक खाते खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है । शेष जमा राशि न होने पर भी प्रत्येक बैंक के लिए इस प्रकार के खाते खोलना अनिवार्य है। खाता धारक भी एक लाख रुपये दुर्घटना बीमा के लिए और 30,000 रुपये जीवन बीमा के लिए पात्र है।

**5. निष्कर्ष**

गरीबी उन्मूलन के लिए नीति पिछले सात दशकों से नीति विकसित हुई है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अंतर्गत ग़रीबों को काफी लाभ प्राप्त हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप, गरीबी के स्तर में धीरे - धीरे कमी आई है। गरीबी का विस्तार क्षेत्र जो आबादी का लगभग 55 प्रतिशत था (लाकड़वाला समिति के अनुसार), 2011 में लगभग 31 प्रतिशत (एसईसीसी के आँकड़ों के अनुसार) तक आ गया। लेकिन प्रगति धीमी रही है और समस्या लगातार बरकरार है रही क्योंकि संपत्ति के स्वामित्व और उत्पादन की प्रक्रिया और जरूरतमंदों को मूलभूत सुविधाओं के सुधार में कोई बुनियादी बदलाव नहीं हुआ। स्थानीय स्तर के संस्थानों के साथ- साथ ग़रीबों की सहभागिता के बिना इन कार्यक्रमों की सफलता की अपेक्षा नहीं की जा सकती। यह आवश्यक है कि ग़रीबों तक संसाधनों की पहुँच हो और वे विकास प्रक्रिया में सामाजिक संचलन और सहभागिता के साथ सक्रिय रुप से भाग लें।